Mail- 05-03-2022

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 01352740926
Email:pccfvanpanchayat@gmail.com

पत्रांक– 623 /18-5 दिनांक 03/03/ 2022

सेवा में,

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
2. वन संरक्षक, कुमाऊं वृत्त, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनकीरेती।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
6. वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व, गोपश्वर।
7. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
8. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं, नैनीताल।
9. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून।

विषयः पंचायती वनों में नव गठित बीटों के नाम के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः इस कार्यालय की पत्र संख्या 320/18–5 दिनांक 25.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पंचायती वनों में मौजूदा बीट के अभ्यास में फील्ड से प्राप्त फीडबैक में सम्यक विचारोपरान्त नव गठित बीटों के नाम के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:

पत्रांक 320/18–5 दिनांक 25.10.2021 में दिये गये बिन्दु	सुझाव के आधार पर प्रस्ताव	अभ्युक्ति
1	2	3
7.1 क्षेत्रीय वन प्रभागों के लियेः **7.1.1 क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधिन आरक्षित वन से गठित वन पंचायतों तथा आरक्षित वन के निकटस्थ सिविल भूमि से गठित वन पंचायतों के लियेः** सदस्य सचिव के जिम्मेदारी का निर्वाहन स्थानीय वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर द्वारा किया जा सकता है। आरक्षित वन की अन्य क्षेत्र विशेष जिम्मेंदारियों को देखते हुये स्थानीय वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर को 5 से 10 तक वन पंचायतों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन वन पंचायतों के कलस्टर को मौजूदा बीट में ही शामील करते हुये स्थानीय वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर को इन वन पंचायतों के सदस्य सचिव के अतिरिक्त जिम्मेदारी दिया जाना उचित रहेगा।	क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधीन आरक्षित वन से गठित वन पंचायतों तथा आरक्षित वन के निकटस्थ सिविल भूमि से गठित वन पंचायतों के लिये 5 से 10 वन पंचायतों को शामिल करते हुये **मौजूदा बीट में ही रखा जाए** तथा स्थानीय वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर को इन वन पंचायतों के सदस्य सचिव के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाए। क्षेत्रीय वन प्रभागों में मौजूदा बीट का अलग से नाम न रखकर उनके **मूल नाम** से ही जाना जायेगा।	बीट के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीट का नाम यथावत रहेगा।
7.1.2 क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधिन सिविल भूमि से गठित पंचायती वनों जो आरक्षित वन के निकट न हो के आवश्यकतानुसार नव बीट गठन के लियेः ऐसी स्थिति में पंचायती वनों के लिये एक अलग बीट का गठन करना उचित रहेगा, जिसमें 15–20 तक वन पंचायतों को एक बीट के रूप में गठन कर वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर को सदस्य सचिव के रूप में तैनात किये जाने पर विचार किया जा सकता है।	क्षेत्रीय वन प्रभागों के नियत्रणाधीन सिविल भूमि से गठित पंचायती वन जो आरक्षित वन के निकट न हो के आवश्यकतानुसार नव बीट गठन में 15–20 वन पंचायतों की एक अलग से बीट के रूप में गठन किया जाना है उस **'बीट'** का नाम न देते हुये **'पंचायती वन बीट'** रखा जाना है।	बीट का नाम **'पंचायती वन बीट'** रखा जायेगा।

7.2 अक्षेत्रीय वन प्रभाग के नियत्रणाधिन सिविल भूमि से गठित पंचायती वनों के नव बीट गठन के लियेः ऐसी स्थिति में पंचायती वनों के लिये एक अलग बीट का गठन करना उचित रहेगा, जिसमें 15–20 तक वन पंचायतों को एक बीट के रूप में गठन कर वन रक्षक/वन विद/डिप्टी रेंजर को सदस्य सचिव के रूप में तैनात किये जाने पर विचार किया जा सकता है।	अक्षेत्रीय वन प्रभाग के नियत्रणाधिन सिविल भूमि से गठित पंचायती वनों के नव बीट गठन में 15–20 वन पंचायतों की एक अलग से बीट के रूप में गठन किया जाना है उस **'बीट'** का नाम न देते हुये **'पंचायती वन बीट'** रखा जाना है।	बीट का नाम **'पंचायती वन बीट'** रखा जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि बीटों के गठन से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में वृत्तवार संकलित कर दिनांक 15.03.2022 तक इस कार्यालय को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

3/3/22

(ज्योत्सना सितलिंग)
प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 623/18-5/उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि– समस्त सम्बधित प्रभागीय वनाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/3/22

प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 623/18-5/उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव देहरादून।

3/3/22

प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 623/18-5/उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/22

प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।